



प्रेस नोट दिनांक 14.04.2026

थाना देवरनियां जनपद बरेली।

थाना देवरनिया #bareillypolice द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 01 अभियुक्त को 30प्र0 गुण्डा नियन्त्रण की धारा 3(1) के अन्तर्गत 06 माह के लिये जनपद बरेली से बाहर की सीमा पर छोड़कर जिला बदर किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.04.2026 को थाना देवरनियां पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के आदेश दिनांक 10-04-2026 के अनुपालन में अभियुक्त सद्दाम पुत्र शफीक अहमद नि0 ग्राम गिरधरपुर थाना देवरनिया जनपद बरेली उम्र 32 वर्ष को 30प्र0 गुण्डा नियन्त्रण की धारा 3(1) के अन्तर्गत 06 माह के लिये जनपद बरेली से बाहर रहने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में थाना देवरनिया, बरेली पुलिस द्वारा अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त को जनपद बरेली की सीमा के बाहर थाना पुलभट्टा, जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड की सीमा पर छोड़ा गया। हिदायत किया गया कि 06 माह के अन्दर जनपद में प्रवेश नहीं करेगा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 111/14 धारा 147/452/504/506 भादवि थाना देवरनिया जिला बरेली।
2. मु0अ0स0 199/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना बहेडी जिला बरेली।
3. मु0अ0स0 107/21 धारा 341/506 भादवि थाना देवरनिया जिला बरेली।
4. मु0अ0स0 453/21 धारा 146/353/323/504/506 भादवि थाना देवरनिया जिला बरेली।
5. मु0अ0सं0 09/22 धारा 307/323/427/352/336/504/506 भादवि थाना बहेडी जिला बरेली।
6. मु0अ0सं0 67/22 धारा 353/377/506 भादवि व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना देवरनिया जिला बरेली।
7. मु0अ0स0 364/24 धारा 333/115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना देवरनिया जिला बरेली।
8. मु0अ0स0 157/25 धारा 109/115(2)/118(2)/191(2)/191(3)/351(2) बीएनएस थाना देवरनिया जिला बरेली।

पुलिस टीम का विवरण:-

1. थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी, थाना देवरनियां जिला बरेली।
2. व030नि0 नवदीप कुमार, थाना देवरनियां जिला बरेली।
3. 30नि0 सुनील कुमार, थाना देवरनियां जिला बरेली।